11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 226

क़ौल-ए-फ़ैसल

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तहरीरी बयान

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

ये एक जँची-तुली बात है। हँसी-मज़ाक़ नहीं है।

पेशकश : मोहम्मद नौशाद

क़ौल-ए-फ़ैसल[1] मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ऐतिहासिक तक़रीर और तहरीरी बयान का संकलन है जो आज से तक़रीबन 100 साल पहले एक किताब की शक्ल में शाया हुआ था। इस मजमुअे में सबसे पहले वह '**पैग़ाम**' भी दर्ज है जिसे मौलाना ने गिरफ़्तारी से दो दिन पहले लिख कर रख लिया था और जो गिरफ़्तारी के बाद प्रकाशित हुआ था। इसमें गिरफ़्तारी की मुख़्तसर कैफ़ियत (कथा), तारीख़ और तमाम पेशियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। दस्तावेज़ में इसके बाद मौलाना का वह बयान है, जो उन्होंने अदालत के लिए लिखा था।

[1] *क़ौल-ए-फ़ैसल* (इंसाफ़ की बात) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वह बयान है जिसे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए राजद्रोह के आरोप के जवाब में तहरीर किया था. यह ख़िलाफ़त व स्वराज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और मुल्क के क़ौमी-ओ-मज़हबी फराएज़ पर विश्वसनीय बयान माना जाता है. इस बयान को उर्दू ज़बान में एक किताब की शक्ल में शाया किया गया है. विस्तृत अध्ययन के लिए देखें, जश्न-ए-रेख्ता का वेबसाइट : https://www.rekhta.org/ebooks/qaul-e-faisal-abul-kalam-azad-ebooks?lang=ur

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 227

एक तरह से यह लेख अबुल कलाम की इस आज़ाद किताब के पाठ और लिप्यंतरण की प्रक्रिया से उपजा है। यह किताब न केवल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी और उनकी विद्वत्ता की एक नायाब मिसाल पेश करती है, बल्कि इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का अक्स भी दिखाई देता है। मौलाना राष्ट्रवादी और गांधीवादी लक्ष्यों के प्रति पूरी ज़िंदगी वचनबद्ध रहे। इस अक्स में उनकी ज़िंदगी गंगा जमुनी तहज़ीब के मूल्यों से रौशन नज़र आती है। मसलन, 1923 में बतौर कॉन्ग्रेस अध्यक्ष अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आज़ाद ने कहा था —

'आज अगर कोई फ़रिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर आए और दिल्ली के क़ुतुब मीनार पर खड़ा होकर ये ऐलान कर दे कि स्वराज चौबीस घंटे के अंदर मिल सकता है लेकिन इस शर्त पर कि भारत हिंदू-मुस्लिम एकता ख़याल से निकाल दे, तो मैं स्वराज को छोड़ दूँगा मगर हिंदू-मुस्लिम एकता का ख़याल दिल से नहीं निकालूँगा'।[2]

क़ौल-ए-फ़ैसल : ऐतिहासिक संदर्भ

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में लाहौर और अमृतसर में रौलेट ऐक्ट लागू था। उस वक़्त न तो कोई पब्लिक जलसा कर सकता था ना ही कोई पब्लिक तक़रीर की जा सकती थी। उस दौरान महात्मा गांधी ने भी कोई तक़रीर नहीं की लेकिन मौलाना ने क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी की। उनकी यह तक़रीर जुमे की नमाज़ के बाद हुई। चाहे अली बंधुओं[3] की गिरफ़्तारी हो या मरकज़ी जमियत उलेमा-ए-हिंद और ख़िलाफ़त समिति का जलसा हो — मौलाना ने हर जगह कराची प्रस्ताव पेश किया और हर मुसलमान से इस क़वायद को आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने ख़ास तौर पर क़ुरआन के हवाले से मुसलमानों को संबोधित करते हुए एक पैग़ाम दिया —

وَلَاتَهِنُوا وَلَاتَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين

"ना तो हिरासाँ (निराश) हो, ना ग़मगीन हो, तुमही सब पर ग़ालिब रहोगे अगर सच्चा ईमान अपने अंदर पैदा कर लो।"

(सूरह आले इमरान : आयत 139)

हमारी तमाम फ़तह मंदियों की बुनियाद चार सच्चाइयों पर है और मैं इस वक़्त भी मुल्क के हर बाशिंदे को उन्हीं की दावत देता हूँ :

---

[2] मसउद हुसैन ख़ां (1995), *मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इक़बाल*, मज़ामीन-ए-मसूद.एजुकेशनल बुक हाउस, अलीगढ़.

[3] शौक़त अली और मोहम्मद अली दो भाई थे जो अली ब्रदर्स या अली बंधु के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. अली बंधु हिंदुस्तान में ख़िलाफ़त आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल थे. महात्मा गांधी, अली बंधु के राजनीतिक उस्ताद थे.

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 228

1. हिंदू मुसलमानों का कामिल इत्तेफ़ाक़ (आपसी सौहार्द)

2. अमन

3. नज़्म (संगठन)

4. क़ुरबानी और उसकी इस्तक़ामत (दृढ़ता)

मुसलमानों से मैं ख़ास तौर पर गुज़ारिश करूँगा के अपने इस्लामी शर्फ़ (प्रतिष्ठा) को याद रखें और आज़माइश की इस फ़ैसलाकुन घड़ी में अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से आगे निकल जाएँ। अगर वो पीछे रहे तो उनका वजूद 40 करोड़ मुसलमानान-ए-आलम (दुनिया के मुसलमानों) के लिए शर्म व ज़िल्लत का स्थाई धब्बा होगा। मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पर दो बातें और भी कहूँगा :

'पहली : बात ये कि अपने हिंदू भाइयों के साथ पूरी तरह मुत्तफ़िक़ रहें। अगर उनमें से किसी एक भाई या किसी एक जमात से कोई बात नादानी की भी हो जाए तो बख़्श दें और अपनी जानिब से कोई बात ऐसी न करें, जिससे उस मुबारक इत्तेफ़ाक़ को सदमा पहुँचे।

दूसरी : बात ये है कि महात्मा गांधी जी पर पूरी तरह भरोसा रखें और जब वो कोई ऐसी बात न चाहें (और वो कभी न चाहेंगे) जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, उस वक़्त पूरी सच्चाई और मज़बूती के साथ उनके मशवरों पर कारबंद रहें।'

ख़िलाफ़त आंदोलन में मौलाना आज़ाद की भूमिका ख़ासी अहम रही थी। वे गांधी जी के फ़लसफ़े (दर्शन) से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह (सिविल नाफ़रमानी) की हिमायत की। इसी दौरान मौलाना आज़ाद की कुछ तक़रीरों के आधार पर उनके विरुद्ध राजद्रोह 124 (ए)[4] का मुक़दमा दायर कर दिया गया था। *क़ौल-ए-फ़ैसल* वही बयान है जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मुक़दमें के प्रतिवाद में पेश किया था। यह औपनिवेशिक सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोप का जवाब था। मौलाना आज़ाद ने इस क़ानून की ज़बरदस्त मज़म्मत की थी। अकारण नहीं है कि इसे ख़िलाफ़त व स्वराज आंदोलन के मर्म और लक्ष्य का सबसे प्रामाणिक वक्तव्य माना जाता है।

[4] 124 (ए) एक क़ानून है जो पूरी तरह औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित है. इस क़ानून की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी. यह एक दमनकारी क़ानून था और इसका मक़सद सरकार का विरोध करने वाले लोगों का दमन करना था. सरकार के विरोधियों की फ़ेहरिस्त में महात्मा गांधी मौलाना आज़ाद जैसी शख़्सियत भी शामिल थीं. आज भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 124(ए) को ही राजद्रोह का क़ानून कहा जाता है. इस धारा के तहत उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है जिन पर देश की एकता और अखंडता को नुक़सान पहुँचाने का आरोप होता है. ऐसे औपनिवेशिक क़ानून की आज़ाद भारत के उदारवादी लोकतंत्र में क्या प्रासंगिकता है ? इसके दुरुपयोग या सदुपयोग का पैमाना क्या है? इन सवालों से जुड़ी बहसों को बारीकी से जानने लिए लिए देखें, अनुष्का सिंह (2018), *सेडीशन इन लिबरल डेमोक्रेसी*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 229

प्रासंगिकता का नया संदर्भ

लेकिन, विचित्र बात है कि आज़ादी के सत्तर साल बाद वही क़ानून हमारे सियासी गलियारों में फिर सिर उठा रहा है, जबकि आज हम एक स्वाधीन और संप्रभु राष्ट्र हैं। राजद्रोह की अवधारणा औपनिवेशिक सत्ता के हितों से बंधी थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने राजद्रोह (सेडीशन) जैसा क़ानून इसलिए बनाया था कि वह यहाँ जनता की इच्छा के विरुद्ध शासन कर रही थी। अंग्रेज़ी हुकूमत सेडीशन/राजद्रोह का यह क़ानून सरकार के ख़िलाफ़ काम करने वाले देशभक्त हिंदुस्तानियों को ताउम्र जेल में बंद करने और आज़ादी की माँग को दबाने के लिए बनाया था। ज़ाहिर है कि आज़ाद भारत में ऐसे क़ानून का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किंतु, अचरज की बात यह है कि जो लफ़्ज़ हमारे संविधान में मौजूद ही नहीं हैं, वह हमारी मौजूदा राजनीति का एक नियामक तत्त्व बन बैठा है।

मसलन, साल 2019 में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले की एक निचली अदालत ने प्रतिष्ठित इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फ़िल्म-निर्देशक अनुराग कश्यप और मणिरत्नम सहित 49 लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करने की हिदायत दी थी। क़ाबिल-ए-ज़िक्र है कि इन शख़्सियतों ने मुल्क में मुसलमानों और दलितों पर बढ़ रहे भीड़ के हमलों की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री को एक ख़त लिखा था। अदालत का कहना था कि इस ख़त के कारण दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। इस वाक़िये से राजद्रोह से जुड़ी धारा 124 (ए) फिर बहस का मुद्दा बन गई है। लिहाज़ा, इस क़ानून की प्रासंगिकता पर विचार करना लाज़िमी हो गया है।

राजद्रोह बनाम देशद्रोह

मौजूदा दौर में राजद्रोह और देशद्रोह को समानार्थी मान लिया गया है, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। धारा 124-ए का मामला राजद्रोह (सेडीशन) का है, देशद्रोह (अपने मुल्क से ग़द्दारी) का उससे कोई लेनादेना नहीं है। किसी मुल्क की सत्ता-व्यवस्था को पूरे मुल्क या राष्ट्र का पर्याय नहीं माना जा सकता। राजद्रोह का मतलब है सरकार-द्रोह। लेकिन, आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद इस क़ानून का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रतिरोध की आवाज़ों को दबाया जा सके तथा सरकार का प्रतिवाद करने वाले लोगों को अपराधी साबित किया जा सके। सरकारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या सरकार के ख़िलाफ़ बोलने-उकसाने वाले को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है। ज़ाहिर है कि सत्ता अपने मतलब के लिए उसका ग़लत इस्तेमाल कर रही है।

ज़ाहिर है कि मौजूदा हालात में मौलाना आज़ाद का यह दस्तावेज़ और भी प्रासंगिक हो उठा है। क़ौल-ए-फ़ैसल के कारण मौलाना पर राजद्रोह का मुक़दमा चलाया गया था। मौलाना आज़ाद को इस बिना पर नज़रबंद किया गया था कि उनके घर में अरबी और उर्दू की किताबें मौजूद थीं। आज आज़ादी के सत्तर साल बाद भी ठीक वैसा ही मंज़र दरपेश है। मसलन, सन् 2016 में जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार के ऊपर देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कथित तौर पर भाषण देने के कारण

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 230

देशद्रोह का केस लगाया गया। इस घटना के बाद पूरे मुल्क में देशद्रोह और राजद्रोह की बहस छिड़ गई। पिछले दिनों भीमा कोरेगाँव घटना से जुड़े एक आरोपी गोंसाल्विस से मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा ही सवाल पूछा था कि उनके घर में रूस के महान साहित्यकार लेव तोल्सतॉय का प्रसिद्ध उपन्यास *वॉर ऐंड पीस* क्यों रखा था? हम सब जानते हैं कि अदब की दुनिया में *वॉर ऐंड पीस* एक बेहतरीन और क्लासिक किताब मानी जाती है। लेकिन, माननीय न्यायाधीश को इस किताब में देश के लिए ख़तरा नज़र आया!

इसी तरह, झारखंड में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की वकालत करने वाले पत्थलगड़ी आंदोलन के खिलाफ़ भी राजद्रोह जैसे ख़तरनाक क़ानून का इस्तेमाल किया गया। आज़ाद भारत में ऐसे जन-विरोधी क़ानून की निरंतरता हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इस क़ानून का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इसका अंदाज़ा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी द्वारा 5 फ़रवरी, 2020 को राज्य सभा में दिए गए बयान से लगाया जा सकता है। उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित होने के बाद 233 लोगों को कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल भेजा गया है। इस संदर्भ में यह भी देखें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (N.C. R. B) के अनुसार आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में 2018 में 70, 2017 में 51, 2016 में 35 और 2015 में 30 तो वहीं साल 2014 में 47 लोगों के खिलाफ़ इस क़ानून का इस्तेमाल किया गया।[5] पिछले दिनों कर्नाटक में एक स्कूल के नाबालिग़ छात्रों के विरुद्ध भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इन छात्रों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर से संबंधित अपने नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग़लत तरीक़े से चित्रित किया है। इसी तरह जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एक साथ कई राज्यों में राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए।

कहना न होगा कि मौजूदा वक़्त में मौलाना आज़ाद के इस तहरीरी बयान क़ौल-ए-फ़ैसल की अहमियत और बढ़ गई है। इस मामले में क़ाबिल-ए-ग़ौर बात यह है कि मौलाना आज़ाद ने इस दमनकारी क़ानून का गांधीवादी तरीक़ों से सामना किया। वर्तमान संदर्भ में उनकी यह किताब एक भरोसा जगाती है कि अगर जनता लोकतांत्रिक मूल्यों व मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब की रक्षा के लिए कमर कस ले तो हुकूमत और निज़ाम का कोई भी पैंतरा उसे परास्त नहीं कर सकता।

बहरहाल, इस लेख के अगले हिस्से में मौलाना आज़ाद के जीवन और कार्यों पर एक मुख़्तसर नज़र डालते हुए उनके तहरीरी बयान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा शब्दश: शामिल किया गया है। यह दस्तावेज़ बताता है कि राजद्रोह जैसे नागरिक-विरोधी क़ानून का प्रतिकार करने में गांधीवादी नज़रिया आज भी कितना प्रासंगिक है।

---

[5] विस्तृत जानकारी के लिए देखें : https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-233-people-slapped-with-sedition-charges-in-last-5-years-govt/346822

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 231

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद : एक मुख़्तसर परिचय

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर, 1888 को सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का, मुअज़्ज़मा में हुई थी। उनका असल नाम अबुल कलाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन अहमद था लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने महज़ पंद्रह या सोलह साल की उम्र में उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में तहरीर और तक़रीर के फ़न पर महारत हासिल कर ली थी। 1912 में उन्होंने *अल-हिलाल* नाम से एक हफ़्तेवार रिसाला निकालना शुरू किया। *अल-हिलाल* रिसाले के मार्फ़त मौलाना मुल्क की फ़िरका-परस्त ताक़तों की मुख़ालफ़त और हिंदू-मुसलमानों के बीच धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते थे। यह रिसाला अपने इंक़लाबी लेखों की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा। अंग्रेज़ी हुकूमत को अपनी आलोचना और हिंदू-मुस्लिम के बीच बढ़ते सद्भाव की बात नागवार गुज़री। आख़िरकार उसने इस रिसाले पर पाबंदी लगा दी। लेकिन, अबुल कलाम आज़ाद इससे हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने *अल-बलाग* नाम से एक और रिसाला निकालने की शुरुआत की। इस तरह वतनपरस्ती और गंगा-जमुनी तहज़ीब और हिंदू व मुसलमानों में आपसदारी को बढ़ावा देने का उनका मिशन अबाध रूप से चलता रहा। लिहाज़ा 1916 के दरमियान अंग्रेज़ी हुकूमत ने मौलाना आज़ाद को रांची में चार साल के लिए नज़रबंद कर दिया। मौलाना आज़ाद की नज़रबंदी के साथ ही *अल-बलाग* भी बंद हो गया।

नज़रबंदी की सज़ा पूरी करके मौलाना जब क़ैद से बाहर आए, तो उनको इंडियन नैशनल कॉन्ग्रेस के आला दर्जे के नेताओं में शामिल किया गया। इसके बाद मौलाना ने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद के इस फ़ैसले से मुस्लिम समुदाय के सांप्रदायिक नेता काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद की सार्वजनिक स्तर पर ख़ूब निंदा भी की। दरअसल, यह एक ऐसा दौर था जब राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पहचान को मज़हबी रंग देने की पुरज़ोर कोशिश की जा रही थी। लेकिन मौलाना एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कर रहे थे जहाँ मज़हब, जाति, बिरादरी आदि व्यक्ति के अधिकारों में कोई बाधा न पैदा कर सके। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दो राष्ट्रों के सिद्धांत की भी जमकर मुख़ालफ़त की। बाद में, उन्होंने इसे ऐलानिया तौर पर भी ख़ारिज कर दिया। इस तरह, वे उन चुनिन्दा मुस्लिम नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मज़हब की बुनियाद पर एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान क़ायम करने के विचार को घोषित रूप से ख़ारिज किया था। ग़ौरतलब है कि आज़ादी से पहले जब जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में अपनी किताब *डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया* की रचना कर रहे थे तो मौलाना आज़ाद भी उसी जेल में क़ैद थे।

आज़ादी के बाद मौलाना ने हिंदुस्तान की पहली सरकार में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री की ज़िम्मेदारी निभाई। आईआईटी, आईआईएम और यूजीसी (युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) जैसे इदारों को क़ायम करने में उनकी भूमिका क़ाबिल-ए-तारीफ़ है। इसके मद्देनज़र उनके जन्मदिन (यौम-ए-पैदाइश) 11 नवंबर को पूरे मुल्क में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया।

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 232

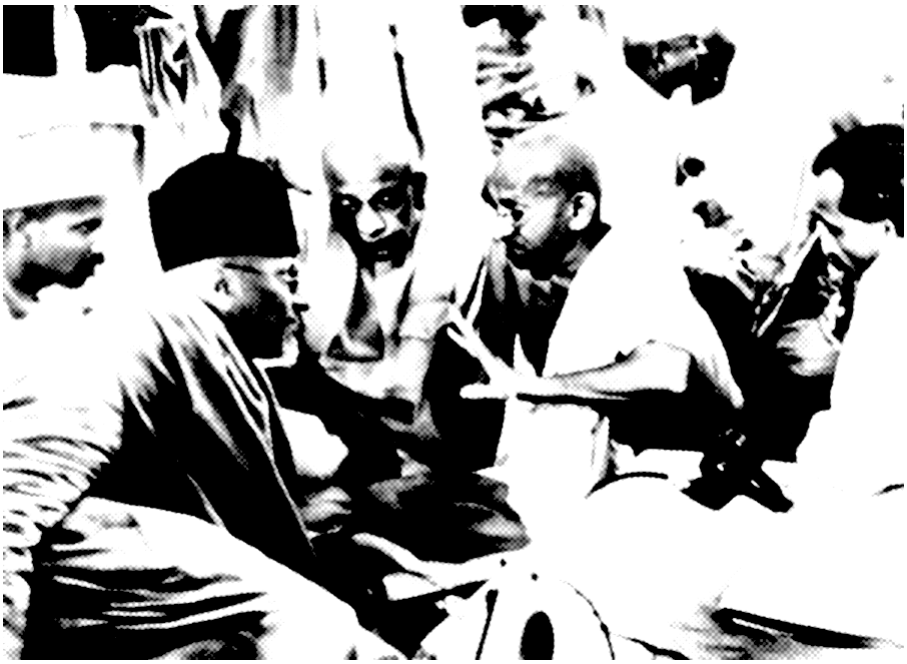

तहरीरी बयान

हमारे इस दौर के तमाम हालात की तरह ये हालत भी नई नहीं है। तारीख़ शाहिद (गवाह) है कि जब कभी हुक्मरान ताक़तों ने आज़ादी और हक़ के मुक़ाबले में हथियार उठाए हैं तो अदालतगाहों ने सबसे ज़्यादा आसान और बे-ख़ता हथियार का काम दिया है। अदालत का इख़्तियार एक ताक़त है और वो इंसाफ़ और नाइंसाफ़ी, दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मुंसिफ़ गवर्नमेंट के हाथ में वो अद्‌ल (निष्पक्षता) और हक़ का सबसे बेहतर ज़रिया है लेकिन जाबिर और मुस्तब्द हुकूमतों के लिए इससे बढ़कर इंतिक़ाम (बदला) और नाइंसाफ़ी का कोई आला (ऊपर) भी नहीं।

मैं बयान क्यूँ देता हूँ ?

बहरहाल, मेरा इरादा न था कि बयान दूँ, लेकिन 6 जनवरी को जब मेरा मुक़दमा पेश हुआ तो मैंने देखा के गवर्नमेंट मुझे सज़ा दिलाने के मुआमले में निहायत आजिज़ और परेशान हो रही है हालाँकि मैं ऐसा शख़्स हूँ जिसको उसकी ख़्वाहिश और ख़याल के मुताबिक़ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए।

पहले मेरे ख़िलाफ़ दफ़ा 2-17 तरमीम ज़ाब्ता फ़ौजदारी का दावा किया गया था लेकिन जब इसका सबूत भी बाहम न हो सका, जैसा आज कल इसबात-ए-जुर्म (प्रमाणित) के लिए काफ़ी तसव्वुर किया जाता है, तो मजबूरन वापस ले ली गई। अब 124 (ए) का मुक़दमा चलाया गया है लेकिन बदक़िस्मती से ये भी मक़सद बरारी (जंगल, बियाबान) के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि जो तक़रीरें सबूत में पेश की गई

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 233

हैं वो उन बहुत सी बातों से बिलकुल ख़ाली हैं जो अपनी बेशुमार तक़रीरों और तहरीरों में हमेशा कहता रहा हूँ और जो शायद गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा कारआमद (उपयुक्त) होतीं।

यह देख कर मेरी राय बदल गई, मैंने महसूस किया कि जो सबब बयान न देने का था वही अब मुतक़ाज़ी (तकाज़ा) है कि ख़ामोश न रहूँ और जिस बात को गवर्नमेंट बावजूद जानने के दिखला नहीं सकती उसे ख़ुद कामिल इक़रार (पूरी सहमति) के साथ अपने क़लम से लिख दूँ। मैं जानता हूँ कि क़ानून-ए-अदालत की रू से ये मेरे फ़राएज़ में दाख़िल नहीं है। मेरी जानिब से प्रोसीक्युशन के लिए यही बहुत बड़ी मदद है की मैंने डिफेन्स नहीं किया लेकिन हक़ीक़त का क़ानून अदालती क़वायद की हीला-जोइयों का पाबंद नहीं है। यक़ीनन ये सच्चाई के ख़िलाफ़ होगा कि एक बात सिर्फ़ इसलिए पोशीदा (छुपी हुई) रहने दी जाए की मुख़ालिफ़ अपनी आजिज़ी की वजह से साबित न कर सका।

हिंदुस्तान में भी यह मुक़ाबला शुरू हो गया है, इसलिए ये कोई ग़ैर-मा'मूली बात नहीं है अगर ब्यूरोक्रेसी के नज़दीक आज़ादी और हक़ तलबी की जद्दोजहद जुर्म हो और वह उन लोगों को सख़्त सज़ाओं का मुस्तहक़ (लायक़) ख़याल करें जो इंसाफ़ के नाम से उसकी ग़ैर-मुंसिफ़ाना (अनुचित) हस्ती के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। मैं इक़रार करता हूँ कि मैं न सिर्फ़ उसका मुजरिम हूँ बल्कि उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उस जुर्म को अपनी क़ौम के दिलों में तुख़्म-ए-रेज़ी (आग़ाज़ करना, बुनियाद डालने की प्रक्रिया) की है और उसकी आबियारी (ज़िंदा रखने/सिंचाई) के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ (उसके नाम) कर दी है। मैं मुसलमान-ए-हिंद में पहला शख़्स हूँ जिसने 1912 ईसवी में अपनी क़ौम को इस जुर्म की आम दावत दी और तीन साल के अन्दर इस ग़ुलामाना रविश (गुलामी की राह/मिज़ाज) से उनका रुख़ फेर दिया जिसमें गवर्नमेंट के पुर-पेच (उलझा हुआ) फ़रेब (धोखा) ने मुब्तला कर रखा था। पस अगर गवर्नमेंट मुझे अपने ख़याल में मुजरिम समझती है और इसलिए सज़ा दिलाना चाहती है तो मैं पूरी साफ़ दिली के साथ तसलीम करता हूँ के ये कोई ख़िलाफ़ तवक़्क़ो (उम्मीद) बात नहीं है जिसके लिए मुझे शिकायत हो।

मैं जानता हूँ के गवर्नमेंट फ़रिश्ता की तरह मासूम होने का दावा रखती है क्योंकि उसने ख़ताओं के इक़रार से हमेशा इन्कार किया, लेकिन मुझे ये भी मालूम है के उसने मसीह होने का भी दावा नही किया। फिर मैं क्यूँ उम्मीद करूँ के वो अपने मुख़ालफ़ों को प्यार करेगी ?

वो तो वही करेगी जो कर रही है और जो हमेशा इस्तिब्दाद (अत्याचार) ने आज़ादी के मुक़ाबले में किया है। पस ये एक ऐसा क़ुदरती मुआ'मला (मामला) है जिसमें दोनों फ़रीक़ के लिए शिकवा शिकायत का कोई मौक़ा नहीं। दोनों को अपना अपना काम किये जाना चाहिए।

गवर्नमेंट बंगाल और मेरी गिरफ़्तारी

मैं ये भी ज़ाहिर कर देना चाहता हूँ के मेरा मुआ'मला जो कुछ था, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया से था। वो किसी ख़ास मुअय्यन इल्ज़ाम की बिना पर नहीं बल्कि मौजूदा तहरीक की आम मशग़ूलियत की वजह से मुझे गिरफ़्तार कर सकती थी और जैसा कि क़ायदा है गिरफ़्तारी के लिए कोई हीला पैदा कर लेती है। चुनांचे मुल्क में आम तौर पर ख़याल किया जाता था की अली ब्रदर्स से मुझे ज़्यादा

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 234

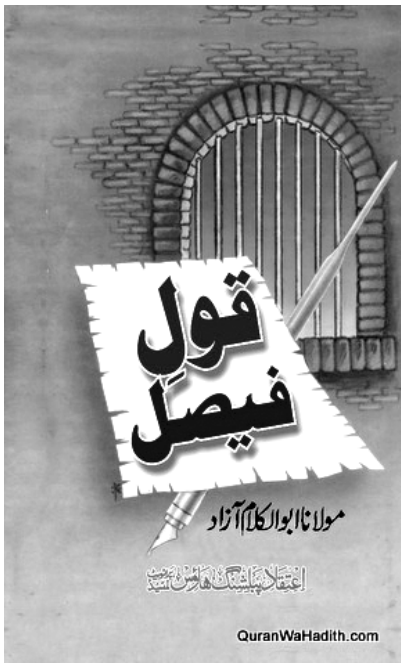

हमारे इस दौर के तमाम हालात की तरह ये हालत भी नई नहीं है। तारीख़ शाहिद (गवाह) है कि जब कभी हुक्मरान ताक़तों ने आज़ादी और हक़ के मुक़ाबले में हथियार उठाए हैं तो अदाल-तगाहों ने सबसे ज़्यादा आसान और बे-ख़ता हथियार का काम दिया है। अदालत का इख़्तियार एक ताक़त है और वो इंसाफ़ और नाइंसाफ़ी, दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

मोहलत दी गई मगर अब ज़्यादा अर्से तक तग़ाफुल (लापरवाही) नहीं किया जाएगा। लेकिन ये वाक़ये है के गवर्नमेंट बंगाल के सामने उस वक़्त मेरा मुआमला न था। न वो दफ़ा 124(ए) का मुक़दमा चलाना चाहती थी, इस दफ़ा के सबूत में जो तक़रीरें पेश की गई हैं वो निस्फ़ (आधा) साल पहले कलकत्ता में की गई हैं और गवर्नमेंट ने मुक़दमे की इजाज़त 22 दिसंबर को दी है, यानि मेरी गिरफ़्तारी से 12 दिन बाद। अगर फ़िलवाक़े उन तक़रीरों में सेडीशन था तो क्यों मुझे छः माह तक गिरफ़्तार नहीं किया गया ? और अब गिरफ़्तार किया भी तो गिरफ़्तारी के बारह दिन बाद ? हर शख़्स उन दो वाक़ियात से साफ़-साफ़ समझ सकता है के सूरत-ए-हाल क्या है? ख़ुसूसन जब ये तीसरा वाक़िया भी बढ़ा दिया जाए की इब्तिदा(शुरुआत) में जो दफ़ा ज़ाहिर की गई वह 124 न थी, 17 तरमीम ज़ाबता फ़ौजदारी थी। पच्चीस दिन के बाद मुझसे कहा जाता है कि वह वापस ले ली गई है।

गिरफ़्तारी का असल बा'इस (कारण)

हक़ीक़त ये है कि मेरी गिरफ़्तारी में इस दफ़ा को कोई दख़ल नहीं। क़त'अई (स्पष्ट) है के मुझे उन्हीं हालात के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया जो 17 नवंबर के बाद रुनुमा (सामने आए) हुए हैं, अगर मैं पहली दिसंबर को कलकत्ता न आता या 10 दिसंबर से पहले बाहर चला जाता जिसकी जलसा जमियत-उल-उल्मा बदायूँ की वजह से वाक़े (होने वाली) थी तो गवर्नमेंट बंगाल मुझसे कोई ताअर्रूज़ (आपत्ति/पूछ ताछ) न करती।

17 नवंबर के बाद दुनिया की तमाम चीज़ों में से जो चाही जा सकती है, वो सिर्फ़ ये चाहती थी के 24 नवंबर को जब प्रिंस कलकत्ता पहुँचे तो हड़ताल न हो और जो जब्र-ओ-आना (अहंकार) बेवक़ूफ़ी तरमीम ज़ाबता फौज़दारी 1908 ईसवी के नफ़ाज़ में हो गई है, वह एक दिन के लिए क़बूल कर ली जाए। वह ख़याल करती थी की मेरी और मिस्टर सी.आर.दास की मौजूदगी इसमें हारिज (नुक़सानदेह) है। इसलिए कुछ अर्सा के तज़ब्ज़ुब(ऊहापोह/असमंजस) और ग़ौर-ओ-फ़िक्र के बाद हम दोनों गिरफ़्तार कर लिए गये। गिरफ़्तारी बिला वारंट के हुई थी लेकिन जब दूसरे दिन ज़ाबता की नुमाइश पूरी करने के लिए

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 235

मजिस्ट्रेट जेल में भेजा गया तो मिस्टर दास की तरह मेरी गिरफ़्तारी के लिए भी दफ़ा 2-17 तरमीम ज़ाबता फ़ौजदारी के मातेहत वॉरंट पेश किया गया।

गवर्नमेंट ने 10 दिसंबर को मुझे गिरफ़्तार कर लिया, मैं पूरे इत्मिनान और मसर्रत के साथ जेल की तरफ़ रवाना हुआ क्योंकि मैं अपने पीछे एक फ़तह मंद मैदान छोड़ रहा था। मेरा दिल ख़ुशी से मामूर है की कलकत्ता और बंगाल ने मेरी तवक़्क़ुआ'त (उम्मीद) पूरी कर दी। वह पहले जिस क़दर पीछे था इतना आज सबसे आगे है। मैं तसलीम करता हूँ कि इस कामयाबी के लिए गवर्नमेंट की इमदाद का हमें पूरी तरह ऐतराफ़ करना चाहिए। अगर वह 17 नवंबर के बाद यह तर्ज़-ए-अमल इख़्तियार न करती तो फ़िलवाक़े हमारे लिए आईंदा कामों के इंतेखाब में चंद-दर-चंद मुश्किलात थे, हम 22 को बंबई में उन्हें उन्हीं मुश्किलात पर बाहम ग़ौर-ओ-खोज कर रहे थे।

गवर्नमेंट का फ़ैसला और शिकस्त (हार)

फ़लसफ़ा तारीख़ हमें बतलाता है की नादानी और ना-आक़ेबत (परिणाम) अंदेशी (शंका) हमेशा ज़वाल-पज़ीर (गिरती हुई) ताक़तों की रफ़ीक़ (मित्र/सहचर) होती है। गवर्नमेंट ने ख़याल किया कि वो जब्र-ओ-तशद्दुद (हिंसा) से तहरीक-ए-ख़िलाफ़त व स्वराज को पामाल कर देगी और 24 की हड़ताल रुक जाएगी।

दफ़ा 124 (ए) :

ग़र्ज़ ये मेरी गिरफ़्तारी सरीह (स्पष्ट) तौर पर उन्हीं वाक़ियात का नतीजा है और इसी लिए दो हफ़्ते तक मेरे ख़िलाफ़ दफ़ा 17 तरमीम ज़ाबता फ़ौजदारी ही का दावा क़ायम रहा, लेकिन जब इस बारे में कोई सहारा न मिला तो मेरे प्रेस और मकान की तलाशी ली गई, ताकि मेरे कोई तहरीर हासिल करके बनाए मुक़दमा क़रार दी जाए। जब वहाँ से भी कोई मवाद (सामग्री) हाथ न आया तो मजबूरन सी.आई.डी. के महफ़ूज़ ज़ख़ीरे की तरफ़ तवज्जो की गयी। ये ज़ख़ीरा हमेशा इस शरीफ़ाना काम के लिए मुस्तईद रहता है और ज़रूरत को कभी मायूस नहीं करता। पस इस तरह ये हज़ार ज़हमत दफ़ा 124 (ए) दावा तैयार हो गया।

गोया नॉन-कॉपरेटर्स को जल्द सज़ा देने के लिए हर तरह की बे-क़ायदगी और क़ानून शिकनी जायज़ है। हत्ता कि इस बात की भी तहक़ीक़ ज़रूरी नहीं कि जिस इन्सान के मुल्ज़िम होने का दावा किया गया है, कटघरे का मुल्ज़िम वही आदमी है भी या नहीं ? अभी इसी हफ़्ते जुड़ा बगान की अदालत से एक शख़्स 'अब्दुर्रहमान हाशिम' को उस पर ज़ोर क़ानूनी और मंतिक़ी (तार्किक) सबूत पर छः माह की सज़ा दी गई है की 'आज़म हासिम' नामी एक ख़िलाफ़त वॉलेंटियर दुनिया में वजूद रखता है और दोनों के नाम में लफ़्ज़ 'हाशिम' मुश्तरक है। ख़ुद मेरे मुक़दमें में जो सरीह बे-ज़ाबिताग़ियाँ (क़ानून के मुताबिक़) की गई हैं उनका ज़िक्र ला-हासिल समझ कर नहीं करना चाहता, वर्ना वही इस हक़ीक़त के इन्किशाफ़ (खुलासे) के लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पर सिर्फ़ एक वाक़ये का ज़िक्र करूँगा जो बे-क़ायादगी और ग़लत बयानी, दोनों का मजमूआ है। मुझे दफ़ा 17 तरमीम ज़ाबता फ़ौजदारी से बरी कर दिया गया और दफ़ा 124 (ए) के मातेहत वॉरंट हासिल किया गया।

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 236

क़ानून का ड्रामा :

फ़िल-हकीक़त "लॉ और ऑर्डर" का एक ड्रामा खेला जा रहा है जिसे हम कॉमेडी और ट्रैजडी दोनों कह सकते हैं।

वह तमाशा की तरह मज़हक(भद्दा) भी है और मक़तल(क्रियान्वयन) की तरह दर्द-अंगेज़ भी, लेकिन मैं ट्रैजडी कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। हसन-ऐ-इत्तिफ़ाक़ से इसका चीफ़ एक्टर इंगलिस्तान का साबिक़ चीफ़ जस्टिस है।

मेरी तक़रीरें :

प्रॉसेक्यूशन की जानिब से मेरी दो तक़रीरें सबूत में पेश की गई हैं जो मैंने पहली और पंद्रहवीं जुलाई को मिर्ज़ापुर के जलसे में की थीं। उस ज़माने में गवर्नमेंट बंगाल ने गिरफ़्तारियों की तरफ़ पहला क़दम उठाया था और चार मुब्लग़ीन ख़िलाफ़त पर मुक़दमा चलाकर सज़ाएँ दिलाई थीं। मैं उस वक़्त सफ़र से बीमार वापस आया था, मैंने देखा के लोगों में बेहद जोश फैला हुआ है और हर तरह के मुज़ाहरे के लिए लोग बेक़रार हैं, चूँकि मेरे ख़याल में गिरफ़्तारियों पर मुज़ाहिरा करना नॉन कोऑपरेशन के असूल के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने हड़ताल और जुलूस यक़ क़लम रोक दिए। उस पर अवाम को शिकायत हुई तो मैंने यह जलसे मुनाक़िद किए और लोगों को सब्र-ओ-तहमिल की नसीहत करते हुए समझाया के नॉनवॉयलेंस, नॉन कोऑपरेशन के असूल में ये बात दाख़िल है के गिरफ़्तारियों पर सब्र-ओ-सुकून के ख़िलाफ़ कोई बात न की जाए। अगर फ़िल-वाक़े इन गिरफ़्तारियों का तुम्हारे दिल में दर्द है तो चाहिए कि असली काम करो और बैरूनी कपड़ा तरक करके देसी गाढ़हा पहन लो।

इस्तिग़ासा ने जो नक़ल पेश की है, निहायत नाक़िस, ग़लत और मसख़शदा सूरत है और महज़ बेजोड़ और बाज़ मक़ामात पर बेमानी जुमलो का मजमूआ है जैसा के इसके पढ़ने से हर शख़्स समझ ले सकता है। ताहिम में इसके ग़लत और बे-रब्त जुमलों को छोड़कर (क्योंकि उसके ऐतराफ़ से मेरा अदबी ज़ौक़ इबा करता है) बाक़ी वो तमाम हिस्सा तस्लीम कर लेता हूँ जिसमें गवर्नमेंट की निस्बत ख़यालात का इज़हार है, या पब्लिक से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की अपील की गई है।

उनके अलावा दोनों तक़रीरों में लोगों को नॉन कोऑपरेशन की दावत दी है मुतालिबात ए ख़िलाफ़त और स्वराज को दोहराया है, पंजाब के मज़ालिम को वहशियाना कहा है, लोगों को बतलाया है कि जो गवर्नमेंट जलियाँवाला बाग़ अमृतसर में चंद मिनटों के अंदर सैंकड़ों इंसानों को क़त्ल कर डाले और उसको जायज़ फ़े'ल, बतलाए इससे नाइंसाफ़ी की कोई बात भी बईद नहीं।

शख़्सी इक़्तिदार बिज़्ज़ात ज़ुल्म है

मेरा इक़्तिदार है कि आज़ाद रहना हर फ़र्द और हर क़ौम का पैदाइशी हक़ है। कोई इंसान या इंसानों की गढ़ी हुई ब्यूरोक्रेसी यह हक़ नहीं रखती कि ख़ुदा के बंदों को अपना महकूम बनाए। महकूमी में और ग़ुलामी के लिए के कैसे ही ख़ुशनुमा नाम क्यों ना रख लिए जाएँ लेकिन वो ग़ुलामी ही है और ख़ुदा की मर्ज़ी और उसके क़ानून के ख़िलाफ़ है। पस मैं मौजूदा गवर्नमेंट को जायज़ हुकूमत तस्लीम नहीं करता और अपना मुल्की, मज़हबी और इंसानी फ़र्ज़ समझता हूँ कि इस की महकूमी से मुल्क और क़ौम को निजात दिलाऊँ।

11azaad_naushad_Layout 1 9/15/2021 2:56 PM Page 237

इंक़लाब-ए-हाल :

मैं सच कहता हूँ मुझे इसकी राई बराबर शिकायत नहीं के सज़ा दिलाने के लिए मुझ पर मुक़दमा चलाया गया है। ये बात तो बहरहाल होनी थी। लेकिन हालात का ये इंक़लाब मेरे लिए बड़ा ही दर्द-अंगेज़ है के एक मुसलमान से क़तमान-ए-शहादत की तवक़्क़ो की जाती है और कहा जाता है कि वो ज़ुल्म को सिर्फ़ इस लिए ज़ुल्म न कहे के दफा 124 ए का मुक़दमा चलाया जाएगा।

या आज़ादी या मौत :

लेकिन इंसानों की बद-अमली से तालीम की हक़ीक़त नहीं झुठलाई जा सकती। इस्लाम की तालीम इस किताब में मौजूद है । वो किसी हाल में भी जायज़ नहीं रखती कि आज़ादी खोकर मुसलमान ज़िंदगी बसर करें। मुसलमानों को मिट जाना चाहिए या आज़ाद रहना चाहिए तीसरी राह इस्लाम में कोई नहीं है।

इसलिए मैंने आज से 12 साल पहले 'अलहिलाल' के ज़रिए मुसलमानों को याद दिलाया था कि आज़ादी की राह में क़ुर्बानी-ओ-जान फ़रोशी उनका क़दीम इस्लामी वरसा है। उनका इस्लामी फ़र्ज़ है के हिंदुस्तान की तमाम जमाअतों को इस राह में अपने पीछे छोड़ दे। मेरी सदाएँ बेकार ना जाएँगी । मुसलमानों ने अब आख़िरी फ़ैसला कर लिया है कि अपने हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी भाइयों के साथ मिलकर अपने मुल्क को ग़ुलामी से निजात दिलाएँगे ।

बग़ावत :

मुझ पर सेडीशन का इल्ज़ाम आयद (लागू/थोपना) किया गया है, लेकिन मुझे 'बग़ावत' के मानी समझ लेने दो। क्या 'बग़ावत' आज़ादी की उस जद्दोजहद को कहते हैं जो अभी कामयाब नही हुई? अगर ऐसा है तो मैं इक़रार करता हूँ। लेकिन साथ ही याद दिलाता हूँ के इसी का नाम क़ाबिल-ए-एहतराम हुब्बुलवतनी भी है। जब वह कामयाब हो जाये। कल तक आयरलैंड के मसलह लीडर बाग़ी थे, लेकिन आज वेलेरा और ग्रेफ्थ के लिए बर्तानिया उज़मा कौन सा लक़ब तजवीज़ करती है?

इसी आयरलैंड के पार्नल ने एक मर्तबा कहा था : हमारा काम हमेशा इब्तिदा में बग़ावत और आख़िर में हुब्बुलवतनी की मुक़द्दस जंग तसलीम किया गया।

ख़ात्मा :

मिस्टर मजिस्ट्रेट, अब मैं और ज़्यादा वक़्त कोर्ट का न लूँगा। ये तारीख़ का एक दिलचस्प और इबरत अंगेज़ बाब (अध्याय) है, जिसकी तरतीब में हम दोनों यकसा तौर पर मशग़ूल हैं। हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कटघरा आया है। तुम्हारे हिस्सा में वो मजिस्ट्रेट की कुर्सी। मैं तसलीम करता हूँ कि इस काम के लिए वह कुर्सी भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है, जिस क़दर ये कटघरा। आओ इस यादगार और अफ़साने बनने वाले काम को जल्द ख़त्म कर दें। मुअर्रिख़ हमारे इंतज़ार में है और मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ आने दो और तुम भी जल्द से जल्द फ़ैसला लिखते रहो। अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा। यहाँ तक के एक दूसरी अदालत का दरवाज़ा खुल जाये। ये ख़ुदा के क़ानून की अदालत है। वक़्त इसका जज है। वो फ़ैसला लिखेगा और उसी का फ़ैसला आख़िरी फ़ैसला होगा।

11 जनवरी, 1922 ईसवी

प्रेसिडेंसी जेल, अहमद अली पुर, कलकत्ता